सचिका स0–7/MCH–35–06/2024– 59 (7)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा मे,

अधीक्षक,
पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना।

पटना, दिनाक–03/06/2025

विषयः– प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY), अन्तर्गत स्थापित किये जा रहे सुपर स्पेशलिटी विभाग हेतु राशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–180(7), दिनांक–17.09.2024 एवं 240(1), दिनांक–21.02.2019

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबध मे कहना है कि विभागीय पत्राक–240(1), दिनाक–21.02.2019 के द्वारा प्रधानमत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) अन्तर्गत स्थापित किये गये सुपर स्पेशलिटी विभागो के लिए विभिन्न शैक्षणिक एव गैर शैक्षणिक कोटि के सृजित पद के विरूद्ध होने वाले व्यय का वहन सबधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल क विपत्र कोड (20–2210011100001) अन्तर्गत उपबधित राशि से किया जाना प्रावधानित है।

2– विभागीय पत्राक–180(7), दिनाक–17.09.2024 के द्वारा भी निदेशित किया जा चुका है कि चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल अन्तर्गत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष मे उपलब्ध करायी गयी राशि से ही सुपरस्पेशिलिटी विभागो मे कार्यरत कर्मियो का वेतन एव भत्ते का भुगतान किया जाना है।

3– पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के सदर्भ मे एक प्रतिनिधि मडल के द्वारा यह मामला सज्ञान मे दिया गया है कि मूल कोटि पर कार्यरत कुछ सहायक प्राध्यापक/चिकित्सक शिक्षक सस्थान मे योगदान दिये जाने के बावजूद भी अधीक्षक कार्यालय के द्वारा वेतन भुगतान अब तक नही किया जा सका है। इनके द्वारा यह बतलाया गया है कि वैसे चिकित्सक शिक्षको जिनका योगदान प्रधानमत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत सुपर स्पेशिलिटी विभाग के स्वीकृत पद के विरूद्ध हुआ है, उन चिकित्सक शिक्षको को अधीक्षक कार्यालय मे अलग से योगदान करना होगा।

4– ज्ञातव्य है कि शैक्षणिक पद सामान्यतया प्राचार्य के अधीन ही माने जाते है। साथ ही, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के अनुसार चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल के शैक्षणिक पद प्राचार्य के अधीन प्रावधानित है। प्राचार्य के अधीन कार्यरत चिकित्सक शिक्षक से उपस्थिति विवरणी के आधार पर वेतन भुगतान की कार्रवाई नियमानुकुल किया जा सकता है। अन्य सस्थानो के द्वारा भी इस सन्दर्भ मे कार्रवाई की जा रही है।

5– उक्त परिप्रेक्ष्य मे निदेशानुसार कहना है कि वेतन भुगतान के सदर्भ मे उपस्थिति विवरणी के आधार पर वेतन भुगतान एक सप्ताह के अदर करना सुनिश्चित करेगे एव उक्त विपत्र कोड अन्तर्गत राशि की आवश्यकता होने पर अतिरिक्त राशि की माग करेगे।

विश्वासभाजन

3.6.25

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापाक–7/MCH–35–06/2024 – 59 (7) /स्वा0, पटना, दिनाक–03/06/2025

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि सबधित सहायक प्राध्यापक (कुल 05) का उपस्थिति विवरणी अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना को पत्र निर्गत के दो दिनो के अदर ही भेजना सुनिश्चित करे।

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के निदेश के साथ प्रेषित।

3.6.25

सरकार के अपर सचिव